



भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-186 / 2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाह टिप्पणी तारीख साथ
23.03.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुआ का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, सोनुआ को स्मारित करें। अगली तिथि 25.5.18 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>अभिलेख 25.5.18 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। </p>	
25.05.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुआ के पत्रांक 195, दिनांक 10.05.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.05.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, सोनुआ ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता श्रीमती नागुरी कोड़ाह, पति-स्व० वीर सिंह कोड़ाह, ग्राम-बंजिरा, थाना-सोनुआ, जिला प० सिंहभूम के निवासी है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सोनुआ के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा खतियानी जमीन मौजा-बंजिरा, थाना नं०-146, खाता नं०-111, प्लॉट नं०-130,131, रकवा क्रमशः 0.12 ए०, 0.06 ए०, कुल रकवा 0.18 ए० भूमि क्रेता श्रीमती जयश्री पूर्ति, पति-श्री तुराम पूर्ति, ग्राम-गोलमुण्डा (टॉटोसाई) थाना-सोनुआ, जिला प० सिंहभूम के प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा-1.70 ए० भूमि ही अवशेष बचती है, जो एक हेक्टेयर से कम है। विक्रेता को उक्त भूमि बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है।</p> <p>अतः आवेदक के आवेदन पत्र को अस्वीकृत की जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p>लेखापित</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर </p>	